संख्या-37/2015/1523 सी0डी0/46-3-15-1000(78)/2014

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 29 जून, 2015

विषयः- प्रदेश के कृषकों को पेराई सत्र 2014-15 का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्रदेश की चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं निगम) को प्रथम किश्त का पूर्ण भुगतान कर दिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार की ओर से रु0-8.60 प्रति कुन्टल की दर से देय अतिरिक्त सहायता हेतु **अनुदान संख्या-24 (आयोजनेत्तर)** के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु0 500000 हजार (रुपया पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-28/2015/1310/46-3-15-3(48)/98-99 टी.सी. दिनांक 15.06.2014 के क्रम में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव विषयक आपके पत्र संख्या-540/क्रय/गन्ना मूल्य/2015, दिनांक 19.06.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में, प्रदेश के जिन चीनी मिलों के द्वारा पेराई सत्र 2014-15 के लिए निर्धारित गन्ने के "राज्य परामर्शित मूल्य(S.A.P.)" की प्रथम किश्त, अगेती प्रजाति हेतु रु0-250 प्रति कुन्टल, सामान्य प्रजाति हेतु रु0-240 प्रति कुन्टल एवं अनुपयुक्त घोषित प्रजाति हेतु रु0-235 प्रति कुन्टल की दर से पूर्ण भुगतान, दिनांक 15 जुलाई, 2015 तक अथवा उससे पूर्व गन्ना किसानों को कर दिया जायेगा एवं गन्ना आयुक्त द्वारा प्रथम किश्त के भुगतान कर दिये जाने की पुष्टि के उपरान्त, राज्य सरकार की ओर से रु0-8.60 प्रति कुन्टल की दर से देय अतिरिक्त सहायता के लिए, उक्त मद में, बजट में प्राविधानित कुल धनराशि **रु0 6020000 हजार(रुपया छः सौ दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष रु0-500000 हजार (रुपया पचास करोड़ मात्र),** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-1247/46-3-15-3(48)/98-99 टी.सी., दिनांक 27.05.2015 एवं शासनादेश संख्या-28/2015/1310/46-3-15-3(48)/98-99 टी.सी. दिनांक 15.06.2014 में दिये गये निर्देशों व निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अतिरिक्त सहायता/रियायतें के रुप में चीनी मिलों को दी जाने वाली धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप **संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015** में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं वित्त विभाग एवं महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद को नियमित रूप से उपलब्ध कराने तथा लेखाओं का नियमित/त्रैमासिक मिलान महालेखाकार, इलाहाबाद से अवश्य कराया जाय। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व गन्ना आयुक्त, उ0प्र0/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त का होगा।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-934/दस-2008-मित0-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाये, ताकि अपव्यय को रोका जा सके ।

6- वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन व वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।

7- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जा रहा है, उसी के लिये किया जायेगा तथा इसका किसी भी दशा में किसी अन्य प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा। ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य कोई सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति नियमानुसार आवश्यक हो, तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को पी.एल.ए./डिपाजिट खातों में जमा न किया जाये।

8- उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-24(आयोजनेत्तर),गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के लेखा शीर्ष ''2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-07-कृषकों को गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु चीनी मिलों को अतिरिक्त सहायता/रियायत की प्रतिपूर्ति-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय-ज्ञाप **संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015** में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव ।

---------3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-37/2015/1523सी0डी0/46-3-15-1000(78)/2014 , तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।